हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 75

बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 2131 (स्थगित), 2594 से 2597 व 2600 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।
तारांकित प्रश्न संख्याः 2269 (स्थगित), 2598 व 2599 पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए।
तारांकित प्रश्न संख्याः 2597 के उत्तर पर और स्पष्टीकरण लेने की मांग करते हुए कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने 11.55 बजे पूर्वाह्न सदन से बहिर्गमन किया।
मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल के बहिर्गमन की निंदा करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिया गया प्रश्न का विस्तृत उत्तर तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने सत्र के दौरान कई अवसरों पर कांग्रेस विधायक दल द्वारा अध्यक्षपीठ के प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार न करने की निंदा की।

तारांकित प्रश्न संख्याः 2601 से 2655 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 918 से 954 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, पर्यवेक्षक (स्टाफ कार), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जो कि अधिसूचना संख्याःपर0(ए0आर0)बी(15)-1/2018 19.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.11.2019 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वर्ग-III व वर्ग-IV के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता, नियम, 2019 जो कि अधिसूचना संख्याःपर(एपी)-सी-सी(17)-2/2018 दिनांक 19.11.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.11.2019 को प्रकाशित।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रक्रिया अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जो कि

अधिसूचना संख्याःआई0पी0एच0-ए-ए(3)-7/2017 दिनांक 27.09.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.10.2019 को प्रकाशित हुए, की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति** (वर्ष 2019-20) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 75वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 8वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है।

(2) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति** (वर्ष 2019-20) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 7वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफ़ारिशों पर बना 9वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफ़ारिशों पर

सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि उद्यान विभाग से सम्बन्धित है ।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री ने मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन एवं इण्डस विश्व विद्यालय, बाथू, जिला ऊना द्वारा फर्जी डिग्रियां बनाने व इस संदर्भ में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वक्तव्य दिया।

वन मंत्री द्वारा वक्तव्य

वन मंत्री ने दिनांक 10.03.2020 को जिला चम्बा मुख्यालय के नजदीक हुई बस दुर्घटना के बारे में वक्तव्य दिया।

5. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष

मुख्य मंत्री ने श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष द्वारा YES Bank में राज्य के संस्थानों की जमा पूंजी, राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण तथा ADB के ऋण से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं आदि के बारे में की गई टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया।

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय अध्यक्ष के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में रहे कार्यकाल के दौरान CMO के माध्यम से लगभग 125 करोड़ रुपये की दवाइयों की खरीद मामले का अपनी चर्चा के दौरान उल्लेख करने पर **माननीय अध्यक्ष** ने निम्नलिखित टिप्पणी की-

"माननीय सदस्य महोदय ने चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ कहा था। खैर, मैं तो अब मंत्री नहीं हूं परन्तु आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय को बड़ा स्पष्ट कर दिया है। जब यह विभाग मेरे पास था तो e-tendering के माध्यम से यह tender लगते थे। इस बार के जो tender हैं वे WHO-GMP Rules approved tenders हैं। वहां पर rate contract होता है और उसी के अनुसार दवाइयां खरीदी जाती हैं।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को निम्नलिखित सूचना दी -

"मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि कल दोपहर 01.00 बजे सभी माननीय सदस्य सामूहिक चित्र के लिए गेट न0- 1 पर एकत्रित होने की कृपा करें।"

(**01.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.10 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**)

(**भोजनावकाश के उपरान्त 02.22 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**)

चर्चा जारी -

2. श्री राकेश पठानिया
3. श्री मोहन लाल ब्राक्टा

(**2.55 बजे अपराह्न श्री राकेश पठानिया, सभापति पदासीन हुए।**)

श्री मोहन लाल ब्राक्टा द्वारा जल शक्ति मण्डल रोहड़ू में हुए वर्क ऑर्डरज़ के बारे में टिप्पणी करने पर **जल शक्ति मंत्री** ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस बारे में जांच आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

4. श्री राजिन्द्र गर्ग
6. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
7. श्री बलबीर सिंह

(**04.10 बजे माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।**)

८. श्री राजेन्द्र राणा
९. श्री बलबीर सिंह वर्मा

(**5.00 बजे सायं सदन की बैठक का समय 5.10 बजे सायंकाल तक बढ़ाया गया।**)

05.07 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 12 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।